फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत........उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)..............मुकाम.......................भादरा..........................

.... छोटूराम ....बनाम.. ममता आदि ....

किस्म मुकदमा...........212 आरटीएक्ट ....न० 12/20 ....सन्............... 2020...............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
16.03.2020	प्रार्थीकी ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री नरेन्द्र शर्मा के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 323/315 के खसरा सं0 315, 316, 322/700, 550, 586, 587 व 673/712 कुल 27.9560है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल दिनांक 27.04.2020 तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात पृथक से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे पर यह लागू नहीं। बैंक ऋण (रोडा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य DiLRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एव सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढाई जावेगी। इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाव प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला वाद कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण क तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.04.2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा	
27/4/20	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ...... दिनांक 23/6/20 को पेश हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:54:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ
	निम्न दिनांक 15.1.21 को पेश हो।	
15.1.21	वकील वादी / प्रतिवादी / प्रार्थी / अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ...तलबी दिनांक 31.3.21 ...को पेश हो।	
31.3.21	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 4 दिनांक 20/5/21 को पेश हो।	
20.5.21	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ...अन्य कार्य में व्यस्त..... हैं दिनांक 31.5.21.. को पेश हो।	
31.5.21	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ...अन्य कार्य में व्यस्त दिनांक 20.8.21. को पेश हो।	
24/8/21	पत्रावली दिनांक 20/8/21 का राजकीय अवकाश होने पर आज पेशी में ली। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 4 दिनांक 29.9.21 को पेश हो।	
2-11-21	पत्रावली [illegible] अभियोजन [illegible] आरोपी के पक्ष [illegible] मूल वाद [illegible] के आरोप [illegible] धारा 212 का आरोप, चालान में कोई औचित्य नहीं है अतः प्रसंज्ञान का अन्तर्गत धारा 212 इसी स्टेज पर आरोप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	Not Press [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:54:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner